न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/08/2025 रजू दिनांकः 15.01.2025 रजि0 न0 2025/11

अपीलार्थीः–

श्रीमती हरीसिंह सैनी, निवासी 63, स्कीम नं0 4, राजेन्द्र नगर अलवर, जिला अलवर–301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– **24.02.2025**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू0आई0टी/आर.टी.आई./2025/11434–35 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी ने आवेदन कमांक 443/24 के द्वारा दिनांक 25.11.2024 के द्वारा सूचना चाही गई थी। आवेदक को न्यास पत्र कमांक 10447 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा चाही गई वांछित सूचना/प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 25.11.2024 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी को पत्रांक 10447 दिनांक 22.01.2025 के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाकर प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अंकित किया है, किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अंकित पत्रांक 10447 दिनांक 22.01.2025 के साथ संलग्नक प्रतिलिपि जवाब/सूचना जो की अपीलार्थी को भिजवाया जाना अंकित किया है पत्र के साथ संलग्न नहीं की है एवं प्रत्यर्थी द्वारा अंकित प्रतिलिपि कमांक अतिक्रमण/2025/10447 दिनांक 22.01.2025 प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम नगर विकास न्यास अलवर को दी गई है ना की अपीलार्थी को भिजवाई गई है। प्रत्यर्थी द्वारा भिजवाये गये अस्पष्ट जवाब यह प्रतीत नही होता है की उक्त पत्र दिनांक 22.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जाकर सूचना से अवगत कराया गया हो। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)